

प्रेषक,

डी०के०सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
रायबरेली।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ:

दिनांक 18 अप्रैल 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित/स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के पत्र संख्या- 26/33-पी.एम.यू.-2013-1169/2012 दिनांक 06.04.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जनपद रायबरेली के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम किश्त की धनराशि योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी है, तदनुसार धनराशि को लेखा शीर्षक वार/निकायवार/पंचायतवार संलग्न फॉट के अनुसार स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः परियोजना निदेशक, बी.आर.जी.एफ. के उक्त प्रस्तावों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न फॉट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) योजनान्तर्गत "विकास अनुदान" मद में प्राविधानित धनराशि रू०-667,19,00,000/- में से रू० 6,52,00,000/- (रू० छः करोड़ बावन लाख मात्र) की धनराशि, को संलग्न पंचायतवार/निकायवार फॉट के अनुसार, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1- 3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2011 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2- (1) प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स, शासनादेश संख्या-2832/33-3-2008-335/06, दिनांक 28.12.2007 तथा शासनादेश संख्या-1919/33-3-2008-100(57)/2008, दिनांक 30.12.2008 एवं शासनादेश संख्या-609/33-3-2013-48/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या-612/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 तथा परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के पत्र संख्या-1430/33-पी.एम.यू./2010, दिनांक 07.01.2011 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 26.09.2009 तथा दिनांक 25.01.2011 में लिये गये निर्णयों एवं कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के लिये बिल जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा तथा उस पर संबंधित जिला पंचायत के वित्तीय परामर्शदाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। शासनादेश संख्या-1919/33-3-2008-100(57)/08, दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक बचत खाता खोला जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) इस धनराशि से वे कार्य ही कराए जाएंगे जिनकी स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या-612/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के अधीन प्रदान की जाए। जिलाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं बी०आर०जी०एफ० विकास अनुदान खाता से धनराशि के आहरण की स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त योजना जिला योजना समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना के रूप में अनुमोदित हो।

(4) समस्त कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा

(5) जिला पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व नगर निकायों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको वह जनपद में बी०आर०जी०एफ० के नोडल अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को दो प्रतियों में उपलब्ध करायेंगे जो कि उसका परीक्षण कर एक प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(6) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित धनराशि को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर निकाय को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी जाए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही है। अतः भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य/परियोजना स्थल का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व व्यय का पूर्ण विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/भारत सरकार को निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराना अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा। अतः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत धनराशि का अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मदवार मासिक व्यय विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व नगर निकाय द्वारा भी अपने-अपने स्तर पर स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपपत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जाएंगे। अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाए और किसी भी दशा में व्यावर्तन नहीं किया जाएगा।

(9) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व पंचायतवार/निकायवार एवं संलग्न फॉट के सही होने/ धनराशियों का आहरण बजट प्राविधान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपयुक्त लेखा शीर्षकवार ही किया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व, परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी.आर.जी.एफ. उ०प्र० का होगा।

(10) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व परियोजना निदेशक, बी.आर.जी.एफ. यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि इन धनराशियों के संबंध में भारत सरकार के संबंधित पत्रों के माध्यम से संबंधित जनपदों के लिए उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी हैं, उनमें जनपदवार/निकायवार/पंचायतवार /एस.सी. पी.एस.सी./एस.टी.एस.पी. तथा नान /एस.सी. पी.एस.सी./एस.टी.एस.पी. कम्पोनेन्टवार अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष ही धनराशियों व्यय की जायेंगी तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के गाइडलाइन्स का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्ययोजना, जिसके सापेक्ष धनराशि स्वीकृत की जा रही है, का विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी को धनराशि व्यय करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3- उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार/ निकायवार विवरण में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-14 आयोजनागत-पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-447 /दस-13 दिनांक 18.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डी०के०सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या : 1145 (1)/33-3-2013-100(11)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
- 7- परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ०प्र०
- 8- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 9- अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद, रायबरेली।
- 10- जिलाधिकारी, जनपद रायबरेली।
- 11- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद रायबरेली।
- 12- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद रायबरेली।
- 13- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-2/आडिट-2, इलाहाबाद।
- 14- वित्त (आय-व्ययक) 1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- पंचायतीराज अनुभाग-1/2
- 17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(आर०एन०सिंह)  
अनु सचिव।

त  
व  
ग  
श  
ता  
18,  
में  
क्षेत्र  
द्वारा  
दान  
वाता  
जला

शासनादेश - 1145/33-3/2013 - 100(15)/2013 दि. 18.05.13

2013 वन के लक्षण

वर्ष 2013-14 हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत जनपदवार विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की अवमुक्त धनराशि का जनपदवार जिला पंचायतों को प्रस्तावित आवंटन का विवरण।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत) / पूँजीव्यय

- 2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय  
02 पिछड़े क्षेत्र  
196 जिला पंचायतों को सहायता  
03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम  
35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू० हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	जि०प०			योग
		एस०सी० पी०एस०सी०	एस०टी० एस०पी०	नॉन एस०सी० पी०एस०सी० / एस०टी० एस०पी०	
1	रायबरेली	3120.00	0.00	7312.00	10432.00
	योग-	3120.00	0.00	7312.00	10432.00

(अरविन्द कुमार सिंह)

उप परियोजना निदेशक

पी०एम०यू०, बी०आर०जी०एफ०  
लखनऊ

11/5/2013

शासनादेश संख्या - 1145/33-3-2013-100(15)/2013 दिनांक 18 अप्रैल 2013  
का संलग्नक

वर्ष 2013-14 हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत जनपदवार विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की अवमुक्त धनराशि का जनपदवार नगर निकायों को प्रस्तावित आवंटन का विवरण।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत)/पूँजीव्यय

- 2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय  
02 पिछड़े क्षेत्र  
192 नगर पालिका परिषदों को सहायता  
03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम  
35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि ₹० हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगर निकाय			योग
		एस०सी० पी०एस०सी०	एस०टी० एस०पी०	नॉन एस०सी० पी०एस०सी० / एस०टी० एस०पी०	
1	रायबरेली	3900.00	0.00	9140.00	13040.00
	योग-	3900.00	0.00	9140.00	13040.00

(अरविन्द कुमार सिंह)  
उप परियोजना निदेशक  
पी०एम०यू०, बी०आर०जी०एफ०  
लखनऊ

शाहनादेश क्र - 1145/33-3/13-100(45)/2013-18  
2013 का बिलान

वर्ष 2013-14 हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत जनपदवार विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की अवमुक्त धनराशि का जनपदवार क्षेत्र पंचायतों को प्रस्तावित आवंटन का विवरण।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत) / पूँजीव्यय

- 2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय  
02 पिछड़े क्षेत्र  
197 क्षेत्र पंचायतों को सहायता  
03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम  
35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू० हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्षे०प०			योग
		एस०सी० पी०एस०सी०	एस०टी० एस०पी०	नॉन एस०सी० पी०एस०सी० / एस०टी० एस०पी०	
1	रायबरेली	1560.00	0.00	3656.00	5216.00
	योग-	1560.00	0.00	3656.00	5216.00

( अरविन्द कुमार सिंह )  
उप परियोजना निदेशक  
पी०एम०यू०, बी०आर०जी०एफ०  
लखनऊ

शासनादेश क्र - 1145/33-3/2013-100(45)/2013-18मई  
2013का बिलगत


वर्ष 2013-14 हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत जनपदवार विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की अवमुक्त धनराशि का जनपदवार ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित आवंटन का विवरण।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत)/पूँजीव्यय

- 2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय  
02 पिछड़े क्षेत्र  
198 ग्राम पंचायतों को सहायता  
03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम  
35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू० हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	ग्रा०पं०			योग
		एस०सी० पी०एस०सी०	एस०टी० एस०पी०	नॉन एस०सी० पी०एस०सी०/ एस०टी० एस०पी०	
1	रायबरेली	10920.00	0.00	25592.00	36512.00
	योग-	10920.00	0.00	25592.00	36512.00

  
( अरविन्द कुमार सिंह )  
उप परियोजना निदेशक  
पी०एम०यू०, बी०आर०जी०एफ०  
लखनऊ